अनुदान संख्या 54 - पुलिस
GRANT No. 54 – POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged -*				
मूल	*Original*	*4,41,00*	*7,71,00*	*5,07,34*	*-2,63,66*
पूरक	*Supplementary*	*3,30,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	31543,06,00	34802,56,00	34433,23,22	-369,32,78
पूरक	Supplementary	3259,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित -	*Charged -*				
मूल	*Original*	*8,10,00*	*8,11,00*	*2,55,61*	*-5,55,39*
पूरक	*Supplementary*	*1,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*5,00,00*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	8464,42,00	8464,47,00	5481,44,47	-2983,02,53
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2512,69,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(₹263.66 लाख)* नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹330.00 लाख के पूरक *विनियोग* का 80 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 34 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the c*harged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹263.66* lakhs) constituted 80 percent of the supplementary *appropriation* of *₹330.00* lakhs obtained in November, 2011 and March, 2012 and 34 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	*O.*	*441.00*	*771.00*	*507.34*	*-263.66*
पु.	*R.*	*330.00*			

(I) *₹46.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹46.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक *विनियोग* प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary *appropriation* obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - स्थापना" - *₹100.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹140.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹240.00 लाख* कर दिया गया था, जो तथापि, न्यायालय आदेशों पर कम दावे प्राप्त होने के कारण *₹129.26 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Central Reserve Police - Establishment" - the original *appropriation* of *₹100.00 lakhs* was augmented to *₹240.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹140.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹129.26 lakhs* - due to receipt of less claims against court orders.

(खा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - स्थापना" - *₹5.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹47.00* लाख का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹52.00 लाख* कर दिया गया था, जो तथापि, प्रतिपूर्ति की अदायगी संबंधी न्यायालय आदेशों और न्यायालय डिक्री को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण *₹25.79 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "National Security Guard - Establishment" - the original *appropriation* of *₹5.00 lakhs* was augmented to *₹52.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹47.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹25.79 lakhs* - due to non-finalisation of court orders for payment of compensation and court decrees.

(गा) "दिल्ली पुलिस - निदेशन और प्रशासन" - *₹91.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹30.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹121.00 लाख* कर दिया गया था, जो तथापि, एमएसीटी मामलों के निर्णय को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण *₹12.67 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Delhi Police - Direction and Administration" - the original *appropriation* of *₹91.00 lakhs* was augmented to *₹121.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹30.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹12.67 lakhs* - due to non-finalisation of decision of the MACT cases.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹36932.78 लाख) अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹325950.00 लाख के पूरक अनुदानों का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹36932.78 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of ₹325950.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	3052181.00			
पू.	S.	250950.00	3282549.49	3250148.31	-32401.18
पु.	R.	-20581.51			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants- in-aid to State Governments				
मू.	O.	100805.00			
पू.	S.	75000.00	196386.51	192514.91	-3871.60
पु.	R.	20581.51			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments		1320.00	660.00	-660.00

(I) ₹4699.03 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹4698.03 लाख मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹4699.03 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹4698.03 lakhs accounted for under Major Head "2055" – under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - प्रशिक्षण और विकास" - ₹ 4498.00 लाख रिक्त पदों को न भरे जाने और प्रशिक्षण के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण थे।

(A) "Direction and Administration - Training and Development" – ₹4498.00 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards training.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण - अवैध व्यापार विरोधी" - ₹200.03 लाख (₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) योजना स्कीमों

(B) "Education and Training – Anti Trafficking" – ₹200.03 lakhs (including token supplementary grant of

को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(क) "राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" - ₹3969.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹13921.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17890.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹16791.56 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और विभिन्न स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "आसूचना ब्यूरो" - ₹90962.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7500.03 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹98462.03 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹12747.90 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, 'आर एण्ड टी" परियोजना की स्थापना के लिए कोडीय औपचारिकताएं पूरी न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण - केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" - ₹810.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹20.31 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹830.31 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹248.09 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और चिकित्सा एवं यात्रा व्यय संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" -

(क) "सीमा सुरक्षा बल - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस" - ₹179779.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹31390.03 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹211169.03 लाख

₹0.03 lakh) - due to non-finalization of plan schemes.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(A) "Direction and Administration" –

(a) "National Intelligence Grid" – the original provision of ₹3969.00 lakhs was augmented to ₹17890.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹13921.00 lakhs. However, there was a saving of ₹16791.56 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts and non-finalization of various schemes.

(b) "Intelligence Bureau" - the original provision of ₹90962.00 lakhs was augmented to ₹98462.03 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7500.03 lakhs. However, there was a saving of ₹12747.90 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals, non-completion of codal formalities for setting up of "R&T" project and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Education and Training – Central Detective Training School" - the original provision of ₹810.00 lakhs was augmented to ₹830.31 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹20.31 lakhs. However, there was a saving of ₹248.09 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards medical and travel expenses.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2055" -

(a) "Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police" - the original provision of ₹179779.00 lakhs was augmented to ₹211169.03 lakhs by

कर दिया गया था, जो तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और कपड़ों तथा टेंटों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण ₹17467.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

obtaining supplementary grant of ₹31390.03 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹17467.01 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of schemes and requirement of less funds towards clothing and tentage.

(ख) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठन को वस्तु रूप में सहायता" - ₹15000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹25000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹40000.00 लाख का दिया गया था, जो तथापि, ₹15000.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(b) "Modernisation of Police Force – Assistance to State Police Organization in kind" - the original provision of ₹15000.00 lakhs was augmented to ₹40000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹25000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹15000.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण" - ₹ 7100.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹75000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹82100.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹6100.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3601" –"Non-Plan Grants - Police - Modernisation of Police Force – Strengthening of State Police Organisations" – the original provision of ₹7100.00 lakhs was augmented to ₹82100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹75000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹6100.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalization of proposals.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2055" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(A) "Direction and Administration" –

(क) "केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल विभागीय लेखांकन संगठन" - ₹ 1526.72 लाख की बचत (₹6749.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और घरेलू यात्राओं के कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Departmental Accounting Organisation of Central Para Military Forces" – saving of ₹1526.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6749.00 lakhs) was due to non filling-up of vacant posts and receipt of less claims towards domestic travel.

(ख) "भारतीय भू पत्तन प्राधिकरण" - ₹597.92 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और विभिन्न स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Land Ports Authority of India" - saving of ₹597.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalization of various schemes.

(ग) "आप्रवास ब्यूरो" - ₹8190.70 लाख की बचत (₹0.03 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹20646.03 लाख

(c) "Bureau of Immigration" - saving of ₹8190.70 lakhs (against the total sanctioned provision

के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, "आर एण्ड टी" परियोजना की स्थापना के लिए कोडीय औपचारिकताएं पूरी न होने और आप्रवास वीजा और विदेशी नागरिक पंजीकरण एवं खोज स्कीमों के लिए मिशन मोड परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

of ₹20646.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.03 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of codal formalities for setting up of "R & T" Project and non-finalization of Mission Mode Project on Immigration Visa and Foreigners Registration and Tracking Schemes.

(घ) "राष्ट्रीय जांच एजेंसी" - ₹1724.68 लाख की बचत (₹0.07 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5457.07 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(d) "National Investigation Agency" - saving of ₹1724.68 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5457.07 lakhs including token supplementary grant of ₹0.07 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ङ) "ई-गवर्नेन्स की अवसंरचना" - ₹4498.64 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(e) "Infrastructure of E-Governance" - saving of ₹4498.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-finalization of training programmes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण" -

(B) "Education and Training" –

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" - ₹1538.35 लाख की बचत (₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹ 9684.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, विदेशी यात्रा के कम दावों के प्राप्त होने और एमसीटीपी पाठ्यक्रमों में कम अधिकारियों के शामिल होने के कारण हुई।

(a) "National Police Academy" - saving of ₹1538.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9684.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards foreign travel and less number of officers attending MCTP courses.

(ख) "राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान" - ₹ 319.05 लाख की बचत (₹0.07 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹867.07 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और घरेलू और विदेशी दौरे के कम दावे प्राप्त होने और प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(b) "National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of ₹319.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹867.07 lakhs including token supplementary grant of ₹0.07 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards domestic and foreign travel and non-materialisation of proposals.

(ग) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" - ₹253.78 लाख की बचत (₹0.75 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1501.75 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण

(c) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹253.78 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1501.75 lakhs including token

कार्यों के पूरा न हो पाने तथा शस्त्रों और गोला बारूद की आपूर्ति न होने के कारण हुई।

supplementary grant of ₹0.75 lakh) was due to non-completion of ongoing works and non-supply of Arms and Ammunitions.

(गा) "अनुसंधान - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" - ₹ 1231.41 लाख की बचत (₹3880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Research - Bureau of Police Research and Development" - saving of ₹1231.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3880.00 lakhs) was due to non filling-up of vacant posts and non-finalization of proposals.

(घा) "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता" -

(D) "Criminal Investigation and Vigilance" –

(क) "केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला" - ₹657.00 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2719.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹657.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2719.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and

(ख) "न्यायिक विज्ञान निदेशालय" - ₹1781.30 लाख की बचत (₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4300.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Directorate of Forensic Science" - saving of ₹1781.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4300.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्रवाई योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and non-finalization of action plan.

(ग) "केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)" - ₹217.99 लाख की बचत (₹791.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और चालू लघु निर्माण-कार्यों के पूरा न होने के कारण हुई।

(c) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" - saving of ₹217.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹791.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-completion of ongoing minor works.

(ङ) "पुलिस कार्मिकों का कल्याण - केन्द्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान" - ₹1315.80 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न इकाइयों से कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(E) "Welfare of Police Personnel – Welfare Grant to Central Police Organizations" - saving of ₹1315.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from various units.

(चा) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण - आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली पुलिस को सहायता" - ₹570.67 लाख की बचत (₹10240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीआईएस/जीपीएस आधारित एवीटीएस प्रणाली के विस्तार के संस्थापन को अंतिम रूप न दिए जाने और विस्फोटक संसूचकों, वाहन, वीडियो प्रणाली, बम निरोधी कंबल, एक्स-रे सामान स्कैनर तथा नीचे तल वाले वाहनों और तीव्र जल धार

(F) "Modernization of Police Force - Assistance to Delhi Police for Modernization" - saving of ₹570.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10240.00 lakhs) was due to non-finalization of installation of extension of GIS/GPS based AVTS system and requirement of less funds towards explosive detectors,

वाहनों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

vehicle video system, Bomb Blanket, X-ray Baggage Scanner, low floor vehicles and water canon vehicles.

(छा) ''दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण'' - ₹7548.11 लाख की बचत (₹ 9500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यातायात और संचार नेटवर्क को विकसित करने की योजना और निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(G) "Delhi Police – Modernization of Traffic and Communication Network of Delhi Police" - saving of ₹7548.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs) was due to non-finalization of plan and tenders of developing of traffic and communication network.

(जा) ''सीमा प्रबंधन - भारत-पाक सीमा निर्माण-कार्य'' - ₹ 649.56 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्यों के पूरा न होने के कारण हुई।

(H) "Border Management – Indo-Pak Border Works" - saving of ₹649.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-completion of maintenance works by the Central Public Works Department.

(झा) ''अन्य व्यय'' -

(I) "Other Expenditure" –

(क) ''बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण'' - ₹961.59 लाख की बचत (₹ 4120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Modernization of Police Forces of the Union Territories without Legislature" – saving of ₹961.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4120.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Union Territories without Legislature.

(ख) ''अपराध और आपराधिक तंत्र प्रणाली'' - ₹19069.73 लाख की बचत (₹38450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Crime and Criminal Net Work System" – saving of ₹19069.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38450.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - विद्रोह का सामना करने और आतंकवाद विरोधी विद्यालय को सहायता'' के अंतर्गत ₹638.40 लाख की बचत (₹1440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आतंकवाद विरोधी विद्यालय के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Police Other Grants – Assistance to Counter Insurgency and Anti Terrorist School" - saving of ₹638.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1440.00 lakhs) was due to non-finalization of proposal for Anti Terrorist School.

(VI) मुख्य शीर्ष ''3602''- ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत ₹660.00 लाख की बचत (₹ 1320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य सरकारों से दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3602" – "Non-Plan Grants – Police-Modernisation of Police Force – Strengthening of Police Organizations in UTs with Legislature" - saving of ₹660.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1320.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from the Union Territory Governments.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹72261.99 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹225003.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत -

(क) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - स्थापना" - ₹40297.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹39427.52 लाख था।

(ख) "विशेष पुलिस" -

(i) "अनुसंधान" - ₹2000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2499.96 लाख था।

(ii) "सीमा चौकियां" - ₹300.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹299.97 लाख था।

(ग) "सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" - ₹3400.99 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1582.70 लाख था।

(घ) "औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन और प्रशासन" - ₹10826.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10541.35 लाख था।

(ङ) "दिल्ली पुलिस - निदेशन और प्रशासन" - ₹4378.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3783.60 लाख था।

(च) "सशस्त्र सीमा बल - स्थापना" - ₹5035.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3698.80 लाख था।

(छ) "अन्य व्यय" -

(i) "आंसू गैस सामग्री का क्रय, विनिर्माण और वितरण" - ₹195.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹129.62 लाख था।

(ii) "नक्सल प्रबंधन के लिए सहायता" - ₹1330.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1329.14 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹ 72261.99 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹225003.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Under Major Head "2055" –

(a) "Central Reserve Police – Establishment" – ₹40297.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹39427.52 lakhs.

(b) "Special Police" –

(i) "Research" – ₹2000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2499.96 lakhs.

(ii) "Border Check Post" - ₹300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹299.97 lakhs.

(c) "Border Security Force – Directorate General of Border Security Force" - ₹3400.99 lakhs. Actual excess, however, was ₹1582.70 lakhs.

(d) "Industrial Security Force – Direction and Administration" - ₹10826.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10541.35 lakhs.

(e) "Delhi Police – Direction and Administration" - ₹4378.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3783.60 lakhs.

(f) "Sashastra Seema Bal – Establishment" - ₹5035.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3698.80 lakhs.

(g) "Other Expenditure" -

(i) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - ₹195.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹129.62 lakhs.

(ii) "Assistance for Nexal Management" - ₹1330.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1329.14 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - भारत आरक्षी बटालियनें" - ₹4500.00 लाख।

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Police - Other Grants - India Reserve Battalions" - ₹4500.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" - "असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन" - ₹3200.67 लाख का अधिक व्यय (₹24000.12 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹269158.12 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मामलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, महंगाई भत्ते में वृद्धि और विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2055" - "Assam Rifles – Establishment and Administration"- excess of ₹3200.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹269158.12 lakhs including supplementary grant of ₹24000.12 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Motor Accident Claim Tribunal cases, enhancement of dearness allowance and increase in various allowances.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - राज्यों को विशेष सहायता" - ₹14386.39 लाख का अधिक व्यय (₹73965.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में संकटकालीन अवसंरचना" - ₹4582.01 लाख का अधिक व्यय (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) Major Head "3601" -

(a) "Non-Plan Grants – Police - Other Grants - Special Assistance to States" – excess of ₹14386.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹73965.00 lakhs); and

(b) "Grants for State Plan Schemes – Police - Other Grants – Critical Infrastructure in extremist Affected Areas" – excess of ₹4582.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय राज्य सरकारों से प्राप्त बिलों के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards clearance of bills received from State Governments.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज एवं अग्रिम*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*			
मू.	*O. 500.00*	..	..	..
पु.	*R. - 500.00*			

(I) ₹*560.00* लाख का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹*500.00 लाख* प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण अकेले "योजनेतर स्कीमों के लिए ऋण - पुलिस - अन्य ऋण - भारत आरक्षी बटालियनें" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(I) *Appropriation* of ₹*560.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads; of these ₹*500.00 lakhs* alone accounted for under "Loans for Non-Plan Schemes - Police - Other Loans - India Reserve Battalions" - due to non-finalisation of proposals.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police			
मू.	O. 776442.00			
पू.	S. 5.00	584046.00	537471.73	-46574.27
पु.	R. -192401.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O. 70000.00	11132.00	10672.74	-459.26
पु.	R. -58868.00			

(I) ₹2444.10 लाख का प्रावधान (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2379.00 लाख मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹2444.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in March, 2012) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹2379.00 lakhs accounted for under Major Head "4055" - under the following heads :-

(का) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - आधुनिकीकरण" - ₹1579.00 लाख;

(खा) "पुलिस आवास - सी पी एम एफ आवास पर सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल" - ₹200.00 लाख;

(गा) "दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस आवास पर सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल" - ₹200.00 लाख;

(घा) "सीमा प्रबंधन" -

(क) "भारत-नेपाल सीमा निर्माण-कार्य" - ₹200.00 लाख;

(ख) "भारत-भूटान सीमा निर्माण-कार्य" - ₹200.00 लाख;

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "केंद्रीय आरक्षी पुलिस - आवासीय भवन" - ₹29346.65 लाख की बचत (₹53800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई पी सी परियोजनाओं का विलम्ब से अधिग्रहण करने और परामर्शदाता के पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) "असम राइफल्स" -

(क) "आवासीय भवन" - ₹14300.63 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "आधुनिकीकरण" - ₹673.27 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "सीमा सुरक्षा बल" -

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" - ₹34254.64 लाख की बचत (अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.48 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹118221.48 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Central Reserve Police – Modernization" – ₹1579.00 lakhs.

(B) "Police Housing – Public Private Partnership Initiative on CPMFs Housing" - ₹200.00 lakhs ;

(C) "Delhi Police – Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing" - ₹200.00 lakhs ;

(D) "Border Management" –

(a) "Indo-Nepal Border Works – ₹200.00 lakhs;

(b) "Indo-Bhutan Border Works" – ₹200.00 lakhs;

Provisions under the above five heads remained unutilized due to non-finalisation of proposals.

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Central Reserve Police – Residential Buildings" – saving of ₹29346.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53800.00 lakhs) was due to delayed acquisition of EPC projects and non-filling up of posts of consultants.

(B) "Assam Rifles" –

(a) "Residential Buildings" - saving of ₹14300.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs);

(b) "Modernisation" - saving of ₹673.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs);

(C) "Border Security Force" –

(a) "Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹34254.64 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹118221.48 lakhs including token supplementary grant of ₹0.48 lakh obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012);

(ख) "भारत-तिब्बत सीमा पुलिस" - ₹14793.20 लाख की बचत (अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.38 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹41900.38 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" -

(क) "कार्यालय भवन" - ₹5528.73 लाख की बचत (₹13100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "आधुनिकीकरण" - ₹150.00 लाख की बचत (₹1040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "औद्योगिक सुरक्षा बल - आवासीय भवन" - ₹11021.05 लाख की बचत (₹14200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(च) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण" -

(क) "राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान" - ₹675.76 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹865.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(ख) "केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" - ₹1408.29 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.21 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1650.21 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" - ₹5892.29 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6395.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें योजना स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(b) "Indo-Tibetan Border Police" - saving of ₹14793.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹41900.38 lakhs including token supplementary grant of ₹0.38 lakh obtained in August, 2011 and March, 2012);

(D) "National Security Guard" –

(a) "Office Buildings"- saving of ₹5528.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13100.00 lakhs);

(b) "Modernisation"- saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1040.00 lakhs);

(E) "Industrial Security Force - Residential Buildings" - saving of ₹11021.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14200.00 lakhs); and

(F) "Research, Education and Training"-

(a) "National Institute of Criminology and Forensic Science" – saving of ₹ 675.76 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹865.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in March, 2012).

Savings under the above eight heads were due to non-finalisation of proposals.

(b) "Central Detective Training School" - saving of ₹1408.29 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1650.21 lakhs including token supplementary grant of ₹0.21 lakh obtained in March, 2012); and

(c) "Bureau of Police Research and Development" - saving of ₹5892.29 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6395.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in March, 2012).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of Plan schemes.

(घ) ''पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी'' - ₹1677.97 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्षा ऋतु की वजह से आवासीय भवन का निर्माण न होने के कारण हुई।

(d) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹1677.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-construction of residential building owing to rainy season.

(छा) ''दिल्ली पुलिस'' -

(G) "Delhi Police" –

(क) ''दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम'' - ₹219.31 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.12 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3100.12 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Delhi Police Building Programme" – saving of ₹219.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.12 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.12 lakhs obtained in March, 2012);

(ख) ''नवीन प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का समावेशन'' - ₹106.67 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Induction of Latest Technology and Capacity Building" - saving of ₹106.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs);

(जा) ''सशस्त्र सीमा बल'' -

(H) "Sashastra Seema Bal"-

(क) ''आवासीय भवन'' - ₹21033.17 लाख की बचत (₹31300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Residential Buildings" – saving of ₹21033.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31300.00 lakhs);

(ख) ''सामान्य'' - ₹332.66 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3600.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "General" – saving of ₹332.66 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3600.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in March, 2012);

(झा) ''सीमा प्रबंधन'' -

(I) "Border Management" –

(क) ''भारत-पाक सीमा निर्माण-कार्य'' - ₹3983.47 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.08 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14219.08 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Indo-Pak Border Works" – saving of ₹3983.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14219.08 lakhs including token supplementary grant of ₹0.08 lakh obtained in March, 2012);

(ख) ''भारत-चीन सीमा'' - ₹5190.92 लाख की बचत (₹29000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Indo-China Border" – saving of ₹5190.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29000.00 lakhs);

(ग) ''भारत-म्यांमार सीमा निर्माण-कार्य'' - ₹2886.13 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Indo-Myanmar Border Works" – saving of ₹2886.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs);

(घ) "एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना" - ₹6015.00 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) "Setting up of Integrated Check Posts" – saving of ₹6015.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs);

(ञ) "तटीय सुरक्षा - तटीय सुरक्षा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" -₹7735.51 लाख की बचत (₹17000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(J) "Coastal Security – Assistance to State/UT's for Coastal Security" - saving of ₹7735.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17000.00 lakhs);

(टा) "अन्य पुलिस संगठन" -

(K) "Other Police Organization" –

(क) "समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)" - ₹492.36 लाख की बचत (₹815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹492.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹815.00 lakhs);

(ख) "आंसू गैस सामग्री का क्रय, विनिर्माण और वितरण" - ₹ 539.60 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹627.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material - saving of ₹539.60 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹627.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in March, 2012);

(ग) "केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान - विज्ञान प्रयोगशाला" - ₹5267.56 लाख की बचत (₹6035.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Central Forensic – Science Laboratory" - saving of ₹5267.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6035.00 lakhs);

(घ) "न्यायिक विज्ञान निदेशालय" - ₹916.25 लाख की बचत (₹920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) "Directorate of Forensic Science" - saving of ₹916.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹920.00 lakhs);

(ङ) "राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो" -₹1272.16 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1301.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(e) "National Crime Records Bureau" - saving of ₹1272.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1301.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in March, 2012);

(च) "केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)" - ₹317.11 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹419.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(f) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" – saving of ₹317.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹419.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in March, 2012);

(छ) "अनुसंधान" -₹126200.00 लाख की बचत (₹188500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(g) "Research" - saving of ₹126200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹188500.00 lakhs);

(ज) "आप्रवास ब्यूरो" - ₹175.28 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹395.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(झ) "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण" - ₹237.76 लाख की बचत (₹311.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त अठारह शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ञ) "आसूचना ब्यूरो" - ₹863.56 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए ₹0.38 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8928.38 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लिंक एनक्रिप्टर्स, गोपनीयता यंत्रों तथा एम ए सी/एस एम ए सी परियोजनाओं के अन्य उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "असम राइफल्स - आवासीय भवन" - ₹30477.00 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "सीमा सुरक्षा बल - आवासीय भवन" - ₹14450.93 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "सशस्त्र सीमा बल - आवासीय भवन" - ₹14399.33 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुई।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹68740.46 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹5.00 लाख का सांकेतिक

(h) "Bureau of Immigration" - saving of ₹175.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹395.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in March, 2012); and

(i) "National Investigation Agency" - saving of ₹237.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹311.00 lakhs).

Savings under the above eighteen heads were due to non-finalisation of proposals.

(j) "Intelligence Bureau" - saving of ₹863.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8928.38 lakhs including token supplementary grant of ₹0.38 lakh obtained in March, 2012) was due to non-receipt of sanction for procurement of Link Encryptors, Secrecy Devices and other equipment of MAC/SMAC projects.

(III) Under Major Head "4552" savings occurred under the following heads :-

(A) "Assam Rifles – Residential Buildings" - saving of ₹30477.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs);

(B) "Border Security Force – Residential Buildings" - saving of ₹14450.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs); and

(C) "Sashastra Seema Bal – Residential Buildings" - saving of ₹14399.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim.

6.(I) The above savings were partly (₹68740.46 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in

पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस" -

(क) "कार्यालय भवन" - ₹23300.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22898.13 लाख था।

(ख) "सामान्य" - ₹14000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13872.77 लाख था।

(खा) "असम राइफल्स" -

(क) "कार्यालय भवन" - ₹4090.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4096.32 लाख था।

(ख) "सीमा चौकियां" - ₹500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹490.29 लाख था।

(गा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - सामान्य" - ₹1365.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1361.09 लाख था।

(घा) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" - ₹1900.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1128.41 लाख था।

(ङ) "दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार तंत्र का आधुनिकीकरण" - ₹700.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹701.56 लाख था।

(चा) "सशस्त्र सीमा बल"-

(क) "कार्यालय भवन" - ₹5200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5209.05 लाख था।

(ख) "सीमा चौकियां" - ₹200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹138.37 लाख था।

(ग) "आधुनिकीकरण" - ₹500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹489.27 लाख था।

(छा) "सीमा प्रबंधन - भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण-कार्य" - ₹14500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹14986.84 लाख था।

August, 2011, November, 2011 and March, 2012 under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police" –

(a) "Office Buildings"- ₹23300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22898.13 lakhs.

(b) "General" – ₹14000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13872.77 lakhs.

(B) "Assam Rifles" :-

(a) "Office Buildings" – ₹4090.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4096.32 lakhs.

(b) "Border Out Posts" – ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹490.29 lakhs.

(C) "National Security Guard – General" – ₹1365.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1361.09 lakhs.

(D) "Research, Education and Training – National Police Academy" - ₹1900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1128.41 lakhs.

(E) "Delhi Police – Modernisation of Traffic and Communication Network of Delhi Police" – ₹700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹701.56 lakhs.

(F) "Sashastra Seema Bal" –

(a) "Office Buildings" - ₹5200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5209.05 lakhs.

(b) "Border Out Posts" – ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹138.37 lakhs.

(c) "Modernisation" - ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹489.27 lakhs.

(G) "Border Management – Indo-Bangladesh Border Works" – ₹14500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14986.84 lakhs.

(जा) "अन्य पुलिस संगठन - राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" - ₹ 2485.46 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹375.86 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4055" - "असम राइफल्स - सामान्य" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹1132.72 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6500.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देयताओं का समाशोधन करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(H) "Other Police Organization – National Intelligence Grid" –₹2485.46 lakhs. Actual excess, however, was ₹375.86 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4055"- "Assam Rifles - General"- excess of ₹1132.72 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6500.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in March, 2012) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities.